



Neutral Citation No-2026:AHC:6081

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 36691 वर्ष 2015

दुर्गेश सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

चकबंदी फर्रुखाबाद के उप निदेशक और 4 अन्य ..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुरेश चंद्र वर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

दीवानी विविध निकासी आवेदन संख्या-16 वर्ष 2025 पर आदेश।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, जो पारस सिंह-याचिकाकर्ता संख्या-1/1 के एक हलफनामे द्वारा समर्थित है।

2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री दिवेश कुमार वर्मा के अधिवक्ता श्री गोवर्धन प्रसाद ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता प्रस्तुत रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं। इसलिए, इसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वापसी आवेदन का कोई विरोध नहीं है। तदनुसार, वापसी आवेदन की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका को वापस लिए जाने के रूप में **खारिज** किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निकासी आवेदन पर आज पारित आदेश के मद्देनजर, प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लेने के रूप में **खारिज** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!